

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 164]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 मार्च 2010—चैत्र 1, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2010

क्र. 6721-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबन्धों के पालन में, मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 7 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 22 मार्च 2010 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ७ सन् २०१०

मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, २०१०.

मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.
- (२) यह १ अप्रैल, २०१० से प्रवृत्त होगा.

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ.

२. मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

धारा २ का संशोधन.

“(झ क) “सेवा” से अभिप्रेत है किसी भी प्रकार की ऐसी सेवा, जो संभावी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त किया गया हो या प्राप्त किया जा सकता हो;”

अनुसूची का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची में, अनुक्रमांक ९ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“९-क. सेवा प्रदाय में लगे हुए ऐसे व्यक्ति जिनकी कुल वार्षिक प्राप्तियां—

(क)	३,००,००० रुपये से अधिक नहीं है	कुछ नहीं
(ख)	३,००,००० रुपये से अधिक किन्तु ५,००,००० रुपये से अधिक नहीं है.	१००० रुपये
(ग)	५,००,००० रुपये से अधिक किन्तु ८,००,००० रुपये से अधिक नहीं है.	२००० रुपये
(घ)	८,००,००० रुपये से अधिक है	२५०० रुपये.”

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्ष २०१०-११ का बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री की सेवा क्षेत्र में लगे हुए व्यक्तियों को वृत्तिकर के दायरे में लाने संबंधी घोषणा को क्रियान्वित करने के लिये, मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) में आवश्यक संशोधन किये जा रहे हैं.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख १५ मार्च, २०१०.

राघवजी,

भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

डॉ. ए. के. पयासी

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.